

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- अति.मु.न.नि./रा.आ.म./जयपुर/2023-24/537

दिनांक : 26.3.2024

मुकेश कुमार चौधरी पुत्र श्री बीरबल सिंह,
M/S AURIGA REALTY PRIVATE LIMITED
A-911 SIDDHARTHA NAGAR NEAR
JAWAHAR CIRCLE JAIPUR RAJASTHAN.

विषय:- व्यावसायिक भूखण्ड संख्या-68/S-3 (क्षेत्रफल 1787.96 वर्ग मीटर) सेक्टर-6, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

महोदय,

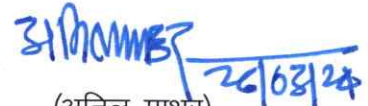
1. उक्त स्वीकृति भवन विनियम-2020 के तहत जारी की गयी है।
2. उक्त स्वीकृति भवन विनियम-2020 के बिन्दु संख्या-8.11 के अनुसार जारी दिनांक से 7 (सात) वर्ष के लिये मान्य होगी।
3. इस निर्माण स्वीकृति को स्वामित्व का आधार नहीं माना जायेगा और न ही इसमें किसी के स्वामित्व संबंधी अधिकार ही प्रभावित होंगे एवं स्वामित्व विवादित होने की स्थिति में भूमि पर दिये गये निर्माण स्वीकृति के लिए राजस्थान आवासन मण्डल जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि निर्माण स्वीकृति केवल मात्र प्रश्नगत भूमि पर क्या निर्माण किया जा सकता है, अथवा अनुज्ञेय है, यही दर्शाता है।
4. भवन निर्माण में निर्धारित मानदण्डों के उल्लंघन होने या निर्माण मानक स्तर के अनुरूप नहीं होने पर निर्माण को रोका जा सकता है। इसे आंशिक या पूर्ण रूप से ध्वस्त कराया जा सकेगा एवं ऐसे समस्त निर्माण की जिम्मेदारी अनुज्ञाधारी की होगी।
5. गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।
6. विद्युत सेवा हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड इण्डिया के आबंधों में वर्णित प्रावधानों का पालन आवश्यक होगा।
7. नलकारी एवं जल, मल निकास सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुरूप होगी।
8. अनुमोदनानुसार वर्षा जल संग्रहण यूनिट मौके पर वास्तव में आवेदनकर्ता द्वारा लगाई जावेगी।
9. अनुमोदनानुसार सौर ऊर्जा उपकरण सिस्टम मौके पर वास्तव में आवेदनकर्ता द्वारा लगाया जावेगा।
10. भवन निर्माण में आंतरिक मानदण्ड बाबत में जिन विषयों पर ब्यौरा यहाँ नहीं दिया गया है, उन बाबत मानदण्ड नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होंगे।
11. भवन का संरचनात्मक अभिकल्पन एवं सुरक्षा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होगा।
12. आवेदनकर्ता की स्वयं की यह जिम्मेदारी होगी कि उनके द्वारा भवन विनियम-2020 के समस्त संबंधित प्रावधानों की पालना भवन निर्माण के दौरान की जा रही है। अन्यथा यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।

13. अनुमोदित मानचित्रों में जिस भाग को पार्किंग हेतु अनुमोदित किया है वह भाग आवेदनकर्ता द्वारा किसी को बेचा नहीं जावेगा एवं केवल पार्किंग हेतु उपयोग में लिया जावेगा। इस का पार्किंग के अलावा अन्य उपयोग पाये जाने पर राजस्थान आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के तोड़ने का हकदार होगा एवं तोड़ने का हर्जा खर्चा जिस व्यक्ति ने पार्किंग के अलावा उपयोग किया है से वसूला जा सकता है।
“उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर राजस्थान आवासन मण्डल हर्जा खर्चा वसूलने एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही जैसे आर्थिक दण्ड कर सकता है जिसे आवेदनकर्ता देने के लिए बाध्य रहेंगे।”
14. अनुमोदित मानचित्रों की प्रति निर्माण स्थल पर बोर्ड पर आवेदनकर्ता द्वारा चस्पा कर प्रदर्शित की जावेगी, साथ ही वास्तुविद्, भवन मालिक व ठेकेदार का नाम भी अंकित किया जावेगा। यदि भवन निर्माण के समय मौके पर उक्त वर्णित डिस्टले नहीं है तो संबंधित उप आवासन आयुक्त द्वारा निर्माण कार्य तुरन्त प्रभाव से रूकवा दिया जावेगा।
15. प्रत्येक 50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो 6 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई ग्रहण कर सकते हो, लगाने होंगे।
16. भवन विनियम-2020 के विनियम संख्या 16 एवं 17 के अनुसार भवन का निर्माण पूर्ण होने पर भवन निर्माणकर्ता को पूर्णता प्रमाण पत्र एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
17. भवन विनियम-2020 के नियमानुसार भूकम्परोधी भवन बनाने की जिम्मेदारी आवेदनकर्ता की होगी।
18. भवन के पूर्णता प्रमाण पत्र चाहने पर संस्था द्वारा लेबर डिपार्टमेंट में लेबर सैस स्वयं के स्तर पर जमा करवाकर संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भवन का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा।
19. पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के समय स्थायी अग्निशमन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा।
20. आवेदनकर्ता द्वारा कचरापात्र की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
21. आवेदनकर्ता द्वारा तडित चालक की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
22. आवेदनकर्ता द्वारा कुल पार्किंग का 10 प्रतिशत EV Charging Points का प्रावधान किया जाना होगा।
23. आवेदनकर्ता द्वारा विजिटर पार्किंग का अंकन वास्तविक रूप में किया जाना होगा।
24. आवेदनकर्ता द्वारा अग्निशमन संबंधी सुरक्षात्मक प्रावधान एवं अन्य मापदण्ड राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना क्रमांक F.17(5)UDH/RVLES/2020 दिनांक 09.01.2020 तथा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
25. आवेदनकर्ता द्वारा बहुमंजिले भवन में 24.00 मीटर ऊंचाई पर बालकनी को शरण क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। अतः इस क्षेत्र को कवर्ड नहीं किया जायेगा।
26. यह भवन निर्माण स्वीकृति आप द्वारा मांग राशि जमा होने एवं पांच उत्तर दिनांकित चैक नम्बर 000259 दिनांक 25.03.2025, चैक नम्बर 000260 दिनांक 25.12.2025, चैक नम्बर 000261 दिनांक 25.09.2026, चैक नम्बर 000262 दिनांक 25.06.2027 एवं चैक नम्बर 000263 दिनांक 25.03.2028 क्रमशः राशि रुपये 44,05,978/-के आधार पर दी जा रही हैं। यदि आप द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांकित चैक अनादरित (Dishonor) होते हैं तो भवन निर्माण स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।

27. भवन में RPWD Act2016, UNCRPD Act2006 एवं प्रचलित भवन विनियम में विनिर्दिष्ट धाराओं के अनुसार विशेष योग्यजनों के लिए आवश्यक मापदण्ड/सुविधाओं/साईन बोर्ड/दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
28. प्रस्तावित रूफ टॉप रेस्टोरेन्ट हेतु अग्निशमन सम्बन्धी सुरक्षात्मक प्रावधान एवं अन्य मानदण्ड राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी अधिसूचना दिनांक 09.01.2020 में वर्णित शर्तों की पालना आपके स्तर पर सुनिश्चित की जानी होगी।
29. भवन विनियम-2020 के प्रावधानानुसार संरचनात्मक सुरक्षा के उपायों से संबंधित समस्त दस्तावेजों मय स्ट्रक्चरल डिजाईन मानचित्रों, भवन में अपेक्षित सेवाओं यथा प्रस्तावित जल वितरण प्रणाली, जल मल निकासी प्रणाली, विद्युत सेवाएँ, वातानुकूल सेवाएँ आदि से संबंधित मानचित्रों के दो सैट पंजीकृत तकनीकीविज्ञ से प्रमाणित करवाकर अनुमोदित भवन मानचित्र जारी करने के पश्चात् अधिकतम 90 दिवस की अवधि में प्रस्तुत की जानी होगी।

संलग्न :- अनुमोदित भवन मानचित्र का एक सैट।

भवदीय



(अनिल माथुर)

मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को अनुमोदित भवन मानचित्रों का एक सैट संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। कृपया सुनिश्चित करें कि भवन निर्माण अनुमोदित मानचित्रों के अनुसार हों।
4. रक्षित पत्रावली।

मुख्य नगर नियोजक

ROAD 12.00 MTR. WIDE

31.82

7.50

18.12

6.85

36.67

18.12

12.00

31.82

ROAD 60.00 MTR. WIDE

TEMPLE

56.16

PROPOSED BUILDING

56.22

COMMERCIAL PLOT NO. 68/S4

1

Basement 3 Floor

1496.85

0.00

2

Basement 2 Floor

1496.85

0.00

3

Basement 1 Floor

1496.85

276.14

4

Ground Floor

676.66

639.32

5

1st Floor

871.06

746.81

6

2nd Floor

834.65

796.24

7

3rd Floor

854.21

795.90

8

4th. Floor

834.65

796.24

9

5th. Floor

854.21

795.90

10

6th. Floor

834.65

796.24

11

7th. Floor

854.21

795.90

12

Terrace Floor

94.60

207.17

13

O.H.W.Tank

31.75

0.00

14

Outer Services

6.47

0.00

15

Roof Top

207.17

0.00

14

TOTAL

11444.84

6645.86

1

PLOT AREA =1787.96 SQ. MT.

2

PERMISSIBLE BAR = 3575.92 (2.00)

3

PROPOSED BAR = 6645.86 (3.717)

4

PROPOSED HEIGHT = 27.40

5

PARKING CALCULATION

REQUIRED E.C.U. =6645.86 /75 = 88.61 E.C.U.

REQUIRED VISITOR E.C.U. = 25% OF 88.61 =22.15

REQUIRED E.C.U. FOR ROOF TOP =28 /4 = 7 E.C.U.

TOTAL REQUIRED E.C.U. =88.61+22.15+7 = 117.76 E.C.U.

REQUIRED FOUR WHEELER PARKING = 75% OF 117.76 = 88.32 E.C.U.

REQUIRED TWO WHEELER PARKING = 25% OF 117.76 = 29.44 E.C.U x 3 = 88.32 TWO WHEELER PARKING

PROPOSED 4 WHEELER PARKING = 53 +17 visitors+19 Mechanical = 89 ECU

PROPOSED 2 WHEELER PARKING = 72+17 =89 (29.66 ECU)

TOTAL PROPOSED ECU = 89 +29.66 = 118.66 ECU

6

PERMISSIBLE GROUND COVERAGE = With In Set Back

7

PROPOSED GROUND COVERAGE =With In Set Back

PROPOSED PARKING

S.N.O.	Floor	4 Wheeler	4 Wheeler Mechanical	2 Wheeler
1	Basement -3	28	19	39
2	Basement -2	28	0	6
3	Basement -1	7	0	19
4	Ground Floor	7	0	25
5	Total	70	19	89

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने के कारण 15 मीटर से अधिक मंजूरियां एवं निर्माण शुद्ध करने से पूर्व मुख्य अंग्रेज भवन अधिकारी जयपुर नगर निगम से आवश्यक नक्का एवं (NOC) लेना होगा एवं आवश्यक नक्का कार्यालय में उपस्थित प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत की जायी अंग्रेजियम होगी। अतः यहाँ स्वीकृति 18 मीटर ऊँचाई तक ही साथ होगी।

अनुमोदित

26.03.24

उप नगर नियोजक

राजस्थान आवासन मण्डल

जयपुर

26.03.24

वरिष्ठ नगर नियोजक

राजस्थान आवासन मण्डल

जयपुर

26.03.24

मुख्य नगर नियोजक

राजस्थान आवासन मण्डल

जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं. 537 दि. 26.3.24 के द्वारा जारी किया गया है।

PROJECT TITLE :

PROPOSED COMMERCIAL BUILDING AT PLOT NO. 68/S-03 ,SECTOR -6 ,TONK ROAD, PRATAP NAGAR, SANGANER ,JAIPUR

CLIENT :

Auriga Realty Pvt. Ltd.

ARCHITECTS

Ricky Mathur & Associates

architects interior designers planners

33, Dhuleshwar Garden, Jaipur, (RAJ.) India, 302 001

Tel: 91-141-2362688, 4004700

Fax: 91-141-4008700

e-mail: ricky@rickymathur.com

DRAWING TITLE :-

SITE PLAN

SCALE 1 : 100

DATE - 2024

DEALT BY

STATUS SUBMISSION

ARCHITECT'S SIGN.

CLIENT'S SIGN.

For AURIGA REALTY PRIVATE LIMITED

Authorised Signatory

SHEET NO. - 01

NORTH -

SECTION (RAIN WATER HARVESTING)

IRON JALI

MAN HOLE COVER

GROUND LVL

STONE PEBBLES

1st PIT

2nd PIT

PERFORATED CASING PIPE

BORE WELL

EXCESS WATER FLOW

आवश्यक रूप से विकसित व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जावे।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

Rain Water Harvesting Units Shall be Provided as per Rules

विद्युत सेवा, मलकारी एवं जल, मल निकास सेवाएं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंध के अनुसार होगी।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

S.NO.

FLOOR

BLOCK AREA

CUT OUT

G.B.U.A.

SERVICES

LIFT

PORCH

FIRE ESCAPE

TERRACE

B.A.R.

USE

1

Basement 3

1500.63

3.78

1496.85

57.57

18.02

22.34

0.00

PARKING

2

Basement 2

1500.63

3.78

1496.85

57.57

18.02

22.34

0.00

PARKING

3

Basement 1

1500.63

3.78

1496.85

176

18.02

22.34

276.14

COMMERCIAL

5

TOTAL

4501.89

11.34

4490.55

291.14

67.02

276.14

6

Ground Floor

680.44

3.78

676.66

6.46

18.02

12.86

639.32

COMMERCIAL

7

1st Floor

875.85

4.79

871.06

0

18.02

69.94

36.29

0

746.81

OFFICE

8

2nd Floor

840.44

5.79

834.65

0

18.02

20.39

0

796.24

OFFICE

9

3rd Floor

859

4.79

854.21

0

18.02

20.39

19.9

795.90

OFFICE

10

4th. floor

840.44

5.79

834.65

0

18.02

20.39

0

796.24

OFFICE

11

5th. floor

859

4.79

854.21

0

18.02

20.39

19.9

795.90

OFFICE

12

6th. floor

840.44

5.79

834.65

0

18.02

20.39

0

796.24

OFFICE

13

7th. floor

859

4.79

854.21

0

18.02

20.39

19.9

795.90

OFFICE

14

Terrace Floor

859

5.2

94.6

0

18.02

0.00

ROOF TOP

14

O.H.Water Tank

31.75

0

31.75

0

0.00

15

TOTAL

12015.5

56.85

11231.2

297.6

238.51

59.7

6438.69

16

Guard Room

6.47

0

6.47

0

0

0

0

0

0

17

TOTAL

6.47

0

6.47

0

0

0

0

0

0

S.NO.

FLOOR

BLOCK AREA

CUT OUT

G.B.U.A.

No. Of Seats

No. Of Seats

No. Of Seats

B.A.R.

18

Roof Top

207.17

0

207.17

16

12

28

207.17

19

TOTAL

12229.14

11444.84

0

0

0

6645.86

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केन्द्र पार्किंग हेतु किया जायेगा।

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N. B. C. Norms.

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जावे।

विद्युत सेवा, नलकरी एवं जल, मल निकास सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कॉड ऑफ इण्डिया के उपबन्धों के अनुसार होंगी।

Rain Water Harvesting Units Shall be Provided as per Rules

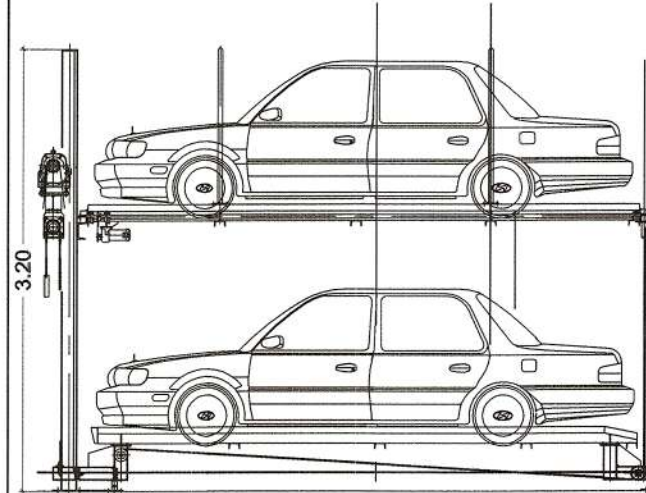
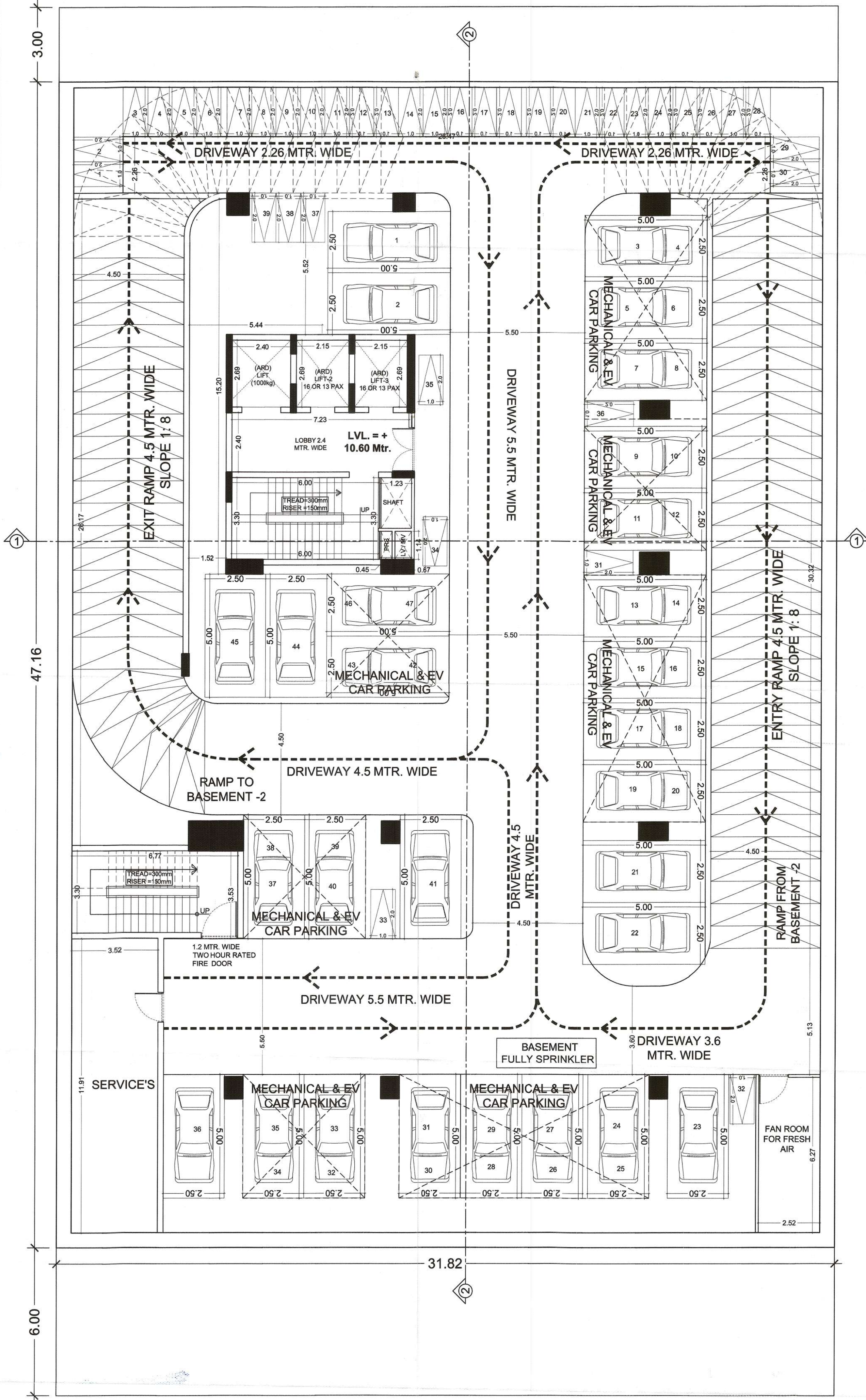
"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रस्तावित भूखंड/प्लॉट के प्रति राजस्व का प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा और नहीं इसके किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार ही प्रभावित होंगे।

सीर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

अनुमोदित



Typical Section Of Mechanical Car Parking

भस्मावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने के कारण 15 मीटर से अधिक मंजिलों पर निर्माण शुरू करने से पूर्व मुख्य अग्नि शमन अधिकारी जयपुर नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा तथा आवासन मण्डल कार्यालय में अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत की जागी अनिवार्य होगी। अन्यथा यह स्वीकृति 15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

सुप नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं० 537 दि० 26/3/24 के द्वारा जारी किये गये।

PROJECT TITLE :
PROPOSED COMMERCIAL BUILDING AT PLOT NO. 68/S-03, SECTOR -6 ,TONK ROAD, PRATAP NAGAR, SANGANER ,JAIPUR

CLIENT :
Auriga Realty Pvt. Ltd.

ARCHITECTS
Ricky Mathur & Associates
architects interior designers planners
33, Dhuleshwar Garden,
Jaipur. (RAJ.) India. 302 001
Tel: 91-141-2362688, 4004700
Fax: 91-141-4008700
e-mail: ricky@rickymathur.com

DRAWING TITLE :-
BASEMENT-3 FLOOR PLAN

SCALE 1 : 100 DATE - 2024

DEALT BY STATUS SUBMISSION

ARCHITECT'S SIGN.
RICKY MATHUR
CA-24247

CLIENT'S SIGN.
AURIGA REALTY PRIVATE LIMITED
Authorised Signatory

SHEET NO. - 02 NORTH -

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N. B. C. Norms.

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जाये।

विद्युत सेवा, नलकरी एवं जल, मल निकास सेवारे नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ प्रैक्टिस के उपबंधा के अनुसार होगी।

Rain Water Harvesting Units Shall be Provided as per Rules

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्राप्ति का ही होगा।"

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी व्यक्ति परनगत भूमि/प्लॉट/कॉम्प्लेक्स के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र-नहीं माना जायेगा और नहीं इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने के कारण 15 मीटर से अधिक तलियों पर निर्माण शुरू करने से पूर्व मुख्य अंगित शक्ति अधिकतम जयपुर नगर निगम से अनामोदित प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा तथा आवश्यकता पड़ने पर (NOC) लेना अनिवार्य प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने के बाद ही निर्माण होगा। अन्यथा यह स्वीकृति 15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

अनुमोदित

26-03-24
रजि. नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

26-03-24
रजि. नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

26-03-24
मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

26-03-24
मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

PROJECT TITLE :

PROPOSED COMMERCIAL BUILDING
AT PLOT NO. 68/S-03, SECTOR -6
, TONK ROAD, PRATAP NAGAR,
SANGANER ,JAIPUR

CLIENT :

Auriga Realty Pvt. Ltd.

ARCHITECTS

Ricky Mathur & Associates

architects interior designers planners
33, Dhuleshwar Garden,
Jaipur. (RAJ.) India. 302 001
Tel: 91-141-2362688, 4004700
Fax: 91-141-4008700
e-mail: ricky@rickymathur.com

DRAWING TITLE :-

BASEMENT-2 FLOOR PLAN

SCALE 1 : 100

DATE - 2024

DEALT BY

STATUS SUBMISSION

ARCHITECT'S SIGN.

26-03-24
RICKY MATHUR
CA-24247

CLIENT'S SIGN.

For AURIGA REALTY PRIVATE LIMITED
Authorised Signatory

SHEET NO. - 03

NORTH -

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N. B. C. Norms.

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जावे।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल निकास सेवाएँ नेशनल विट्रिफिंग कोड ऑफ प्रैक्टिस के उपबंध के अनुसार होंगी।

Rain Water Harvesting Units Shall be Provided as per Rules

"जैसे किये गये अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी शक्ति अथवा नगर/मंडल के प्रति रदाभिव का प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा और नहीं इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारों को प्रभावित होगा।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

अनुमोदित

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने के कारण 15 मीटर से अधिक मीठिलों पर निर्माण शुद्ध करने से पूर्व मुख्य अग्नि श्रमण अधिकारी जयपुर नगर निगम से अग्नि प्रतिपत्ति पत्र (NOC) लेना होगा तथा आवश्यक बाडल कर्मांतव में अग्नि प्रतिपत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी। अतः यहाँ स्वीकृति 15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

RMP
26-03-24
उप नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

RMP
26-03-24
उप नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

Submer
26/03/24
मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं० 537 दि० 26.3.24 के द्वारा जारी किया गया।

PROJECT TITLE :
PROPOSED COMMERCIAL BUILDING
AT PLOT NO. 68/S-03, SECTOR -6
TONK ROAD, PRATAP NAGAR,
SANGANER, JAIPUR

CLIENT :
Auriga Realty Pvt. Ltd.

ARCHITECTS
Ricky Mathur & Associates
architects interior designers planners
33, Dhuleshwar Garden,
Jaipur, (RAJ.) India. 302 001
Tel: 91-141-2362688, 4004700
Fax: 91-141-4008700
e-mail: ricky@rickymathur.com

DRAWING TITLE :-
BASEMENT-1 FLOOR PLAN

SCALE 1 : 100 DATE - 2024
DEALT BY STATUS SUBMISSION

ARCHITECT'S SIGN.

Ricky Mathur
RICKY-MATHUR
CA-24247

CLIENT'S SIGN.

For AURIGA REALTY PRIVATE LIMITED
Authorised Signatory

SHEET NO. - 04

NORTH -



NORTH -

[illegible]

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जायेगा।

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N. B. C.
Norms.

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के
लिए विशेष सुविधा का प्रावधान
नियमानुसार किया जावे।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल निकास
सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कॉड ऑफ इण्डिया
के उपबंध के अनुसार होंगी।

Rain Water Harvesting Units
Shall be Provided as per Rules

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्र
में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना
(STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी
का ही होगा।"

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाति
प्रमाण पत्र-सही माना जायेगा और नहीं
इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी
ही प्रभावित होंगे।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO SEVEN YEARS
FROM DATE OF ISSUE.

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने
के कारण 15 मीटर से अधिक मंजिलों पर
निर्माण शुरू करने से पूर्व मुख्य अग्निलक्षित
अधिकारी जयपुर नगर निगम से अनामति प्रमाण
पत्र (NOC) लेना होगा तथा आवासन मण्डल
कार्यालय में अनामति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त
की जानी अनिवार्य होगी। अन्यथा यह स्वीकृति
15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

अनुमोदित

26-03-24

उप नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

44-1110

वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

537
इस मानचित्र पत्र सं० 26-324 के द्वारा जारी किया गया।

PROJECT TITLE:
PROPOSED COMMERCIAL
BUILDING AT PLOT NO. 68/S-03
SECTOR -6, TONK ROAD, PRATAP
NAGAR, SANGANER, JAIPUR

CLIENT:
Auriga Realty Pvt. Ltd.

ARCHITECTS
Ricky Mathur & Associates
architects interior designers planners
33, Dhuleshwar Garden,
Jaipur. (RAJ.) India. 302 001
Tel: 91-141-2362688, 4004700
Fax: 91-141-4008700
e-mail: ricky@rickymathur.com

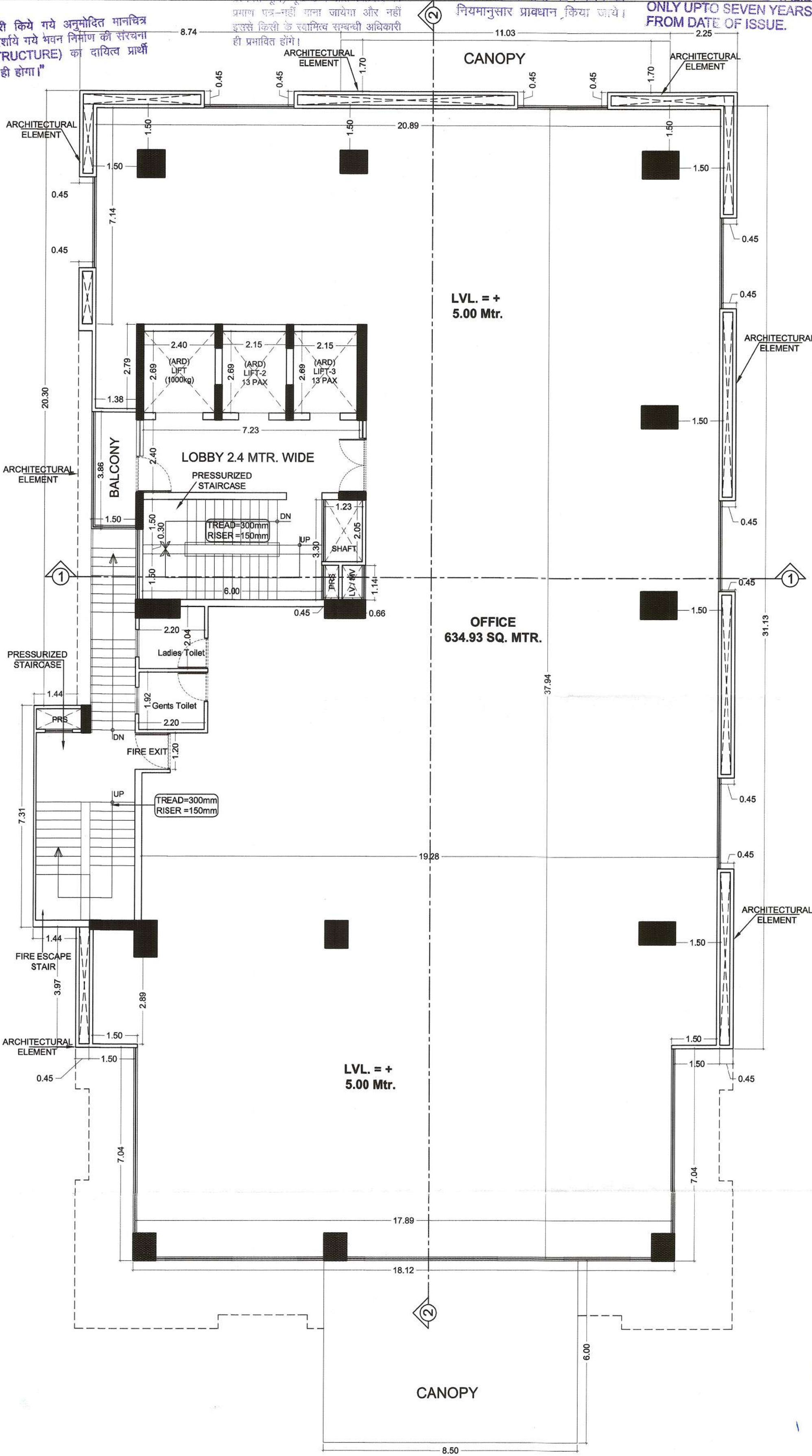
DRAWING TITLE:-
1ST FLOOR PLAN

SCALE 1:100 DATE - 2024
DEALT BY STATUS SUBMISSION

ARCHITECT'S SIGN.
RICKY MATHUR
CA-24247

CLIENT'S SIGN.
For AURIGA REALTY PRIVATE LIMITED
Authorised Signatory

SHEET NO. - 06 NORTH



पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N. B. C. Norms.

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जावे।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल निकास सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कॉड ऑफ इण्डिया के उपबंध के अनुसार होगी।

Rain Water Harvesting Units Shall be Provided as per Rules

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाति प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र-नहीं माना जायेगा और नहीं इसके किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने के कारण 15 मीटर से अधिक मंजिलों पर निर्माण शुरू करने से पूर्व मुख्य अगल सभन अधिकारी जयपुर नगर निगम से अनापति प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा तथा आवासन मण्डल कार्यालय से अनापति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी। अन्यथा यह रजिस्ट्रार 15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

अनुमोदित

26-03-24

उप नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं. 537
दि. 26/3/24 के द्वारा जारी किये गये।

PROJECT TITLE :
PROPOSED COMMERCIAL
BUILDING AT PLOT NO. 68/S-03
SECTOR -6 ,TONK ROAD, PRATAP
NAGAR, SANGANER ,JAIPUR

CLIENT :
Auriga Realty Pvt. Ltd.

ARCHITECTS
Ricky Mathur & Associates
architects interior designers planners
33, Dhuleshwar Garden,
Jaipur, (RAJ.) India. 302 001
Tel: 91-141-2362688, 4004700
Fax: 91-141-4008700
e-mail: ricky@rickymathur.com

DRAWING TITLE :-
2ND. FLOOR PLAN

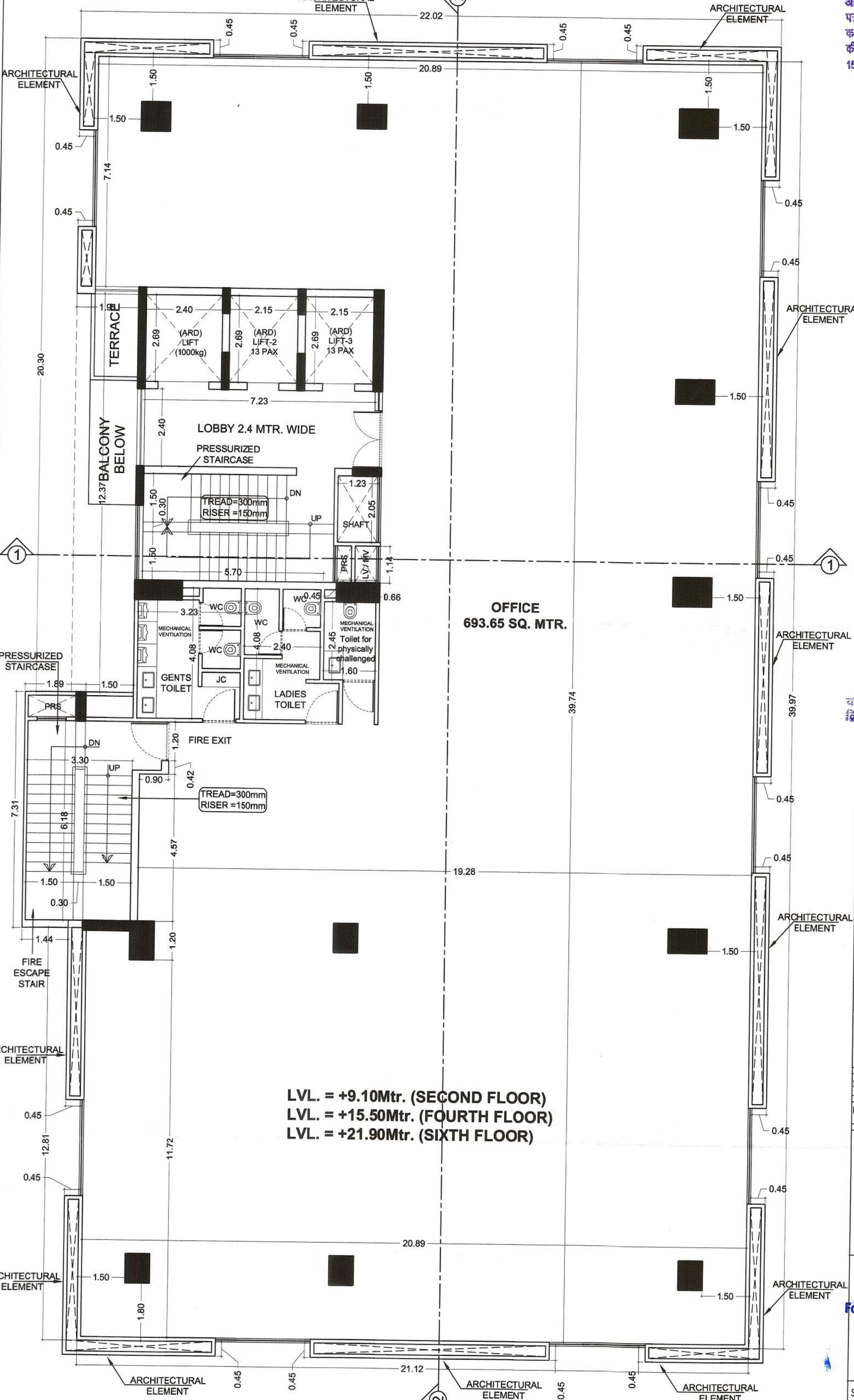
SCALE 1 : 100 DATE - 2024

DEALT BY STATUS SUBMISSION

ARCHITECT'S SIGN.
RICKY MATHUR
CA-24247

CLIENT'S SIGN.
For AURIGA REALTY PRIVATE LIMITED
Authorised Signatory

SHEET NO. - 07 NORTH -



LVL. = +9.10Mtr. (SECOND FLOOR)
LVL. = +15.50Mtr. (FOURTH FLOOR)
LVL. = +21.90Mtr. (SIXTH FLOOR)

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N. B. C. Norms.

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जावे।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल निकास सेवाएं नेशनल बिल्डिंग कॉड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होंगी।

Rain Water Harvesting Units Shall be Provided as per Rules

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी शर्त पर नगर/ग्रामपंचायत के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा और नहीं इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने के कारण 15 मीटर से अधिक मॉड्यूलर निर्माण शुरू करने से पूर्व मुख्य अधिकारी जयपुर नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा तथा आवस्यन फायर ऑफिस से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत की जानी अनिवार्य होगी। अन्यथा यह स्वीकृति 15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

अनुमोदित

26-03-24

उप नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

26/03/24
मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं. 537
दि. 26/3/24 के द्वारा जारी किया गया।

PROJECT TITLE :
PROPOSED COMMERCIAL
BUILDING AT PLOT NO. 68/S-03
SECTOR -6 ,TONK ROAD, PRATAP
NAGAR, SANGANER ,JAIPUR

CLIENT :
Auriga Realty Pvt. Ltd.

ARCHITECTS
Ricky Mathur & Associates
architects interior designers planners
33, Dhuleshwar Garden,
Jaipur. (RAJ.) India. 302 001
Tel: 91-141-2362688, 4004700
Fax: 91-141-4008700
e-mail: ricky@rickymathur.com

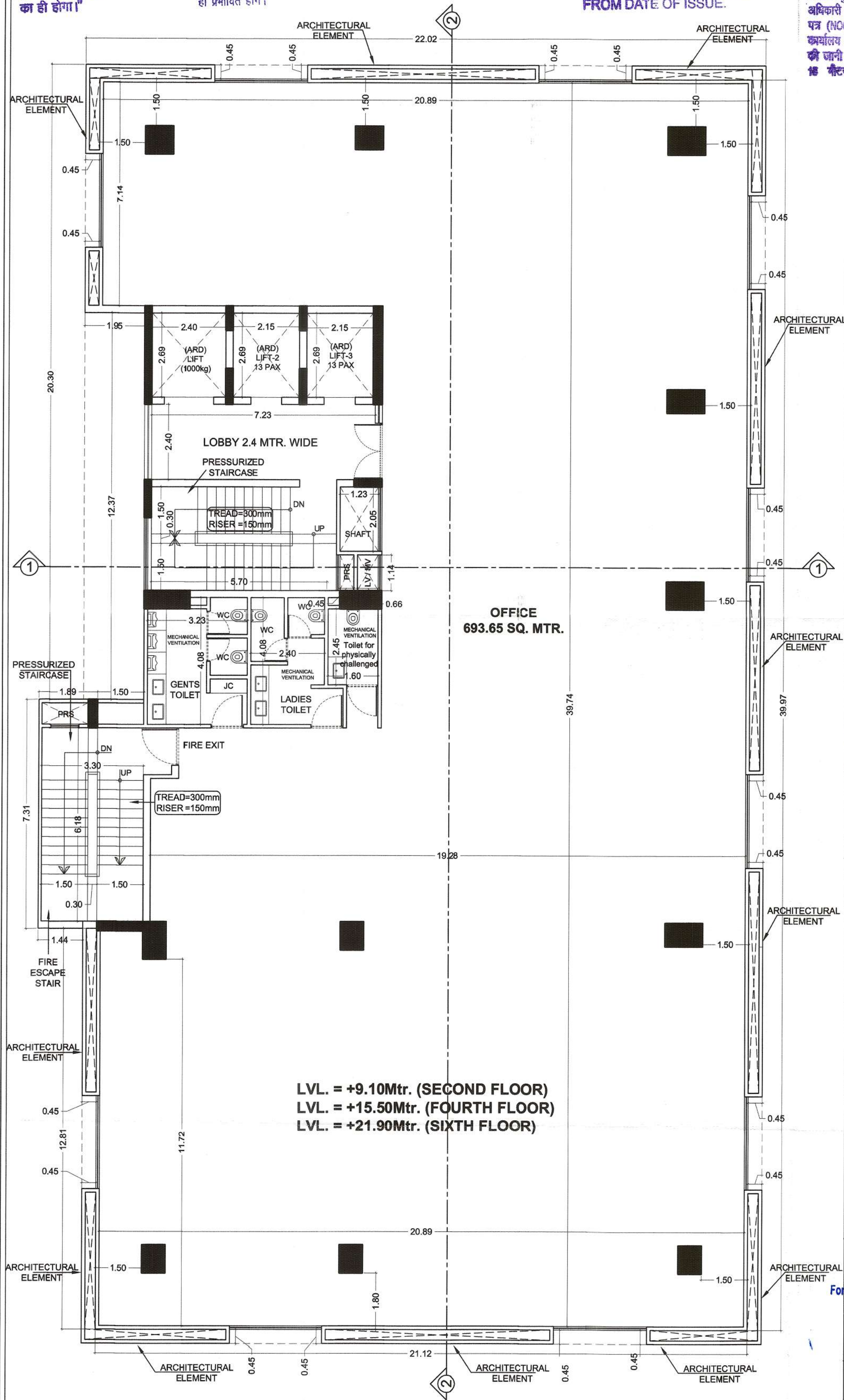
DRAWING TITLE :-
4TH. & 6th. FLOOR PLAN

SCALE 1 : 100 DATE - 2024
DEALT BY STATUS SUBMISSION

ARCHITECT'S SIGN.
RICKY MATHUR
CA-24247

CLIENT'S SIGN.
For AURIGA REALTY PRIVATE LIMITED
Authorised Signatory

SHEET NO. - 08 NORTH -



पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N. B. C. Norms.

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जावे।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल निकास सेवाएं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होंगी।

Rain Water Harvesting Units Shall be Provided as per Rules

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्राप्ति का ही होगा।"

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भौतिक प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व को प्रमाण पत्र-नहीं माना जायेगा और नहीं इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारों को प्रभावित होंगे।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने के कारण 15 मीटर से अधिक मंजिलों पर निर्माण शुरू करने से पूर्व मुख्य अगिल शान्त अधिकारी जयपुर नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा तथा आवासन मण्डल कार्यालय में अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत की जानी अनिवार्य होगी। अन्यथा यह स्वीकृति 15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

अनुमोदित

26-03-24
उप नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

HAND
वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

31/03/24
मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

537
इस मानचित्र पत्र सं. 26/3/24 के द्वारा जारी किया गया।

PROJECT TITLE :
PROPOSED COMMERCIAL BUILDING AT PLOT NO. 68/S-03, SECTOR -6, TONK ROAD, PRATAP NAGAR, SANGANER, JAIPUR
CLIENT :

Auriga Realty Pvt. Ltd.

ARCHITECTS
Ricky Mathur & Associates
architects interior designers planners
33, Dhuleshwar Garden,
Jaipur, (RAJ.) India. 302 001
Tel: 91-141-2362688, 4004700
Fax: 91-141-4008700
e-mail: ricky@rickymathur.com

DRAWING TITLE :-
3RD, 5TH. & 7TH. FLOOR PLAN

SCALE 1 : 100

DATE - 2024

DEALT BY

STATUS SUBMISSION

ARCHITECT'S SIGN.

RICKY MATHUR
CA-24247

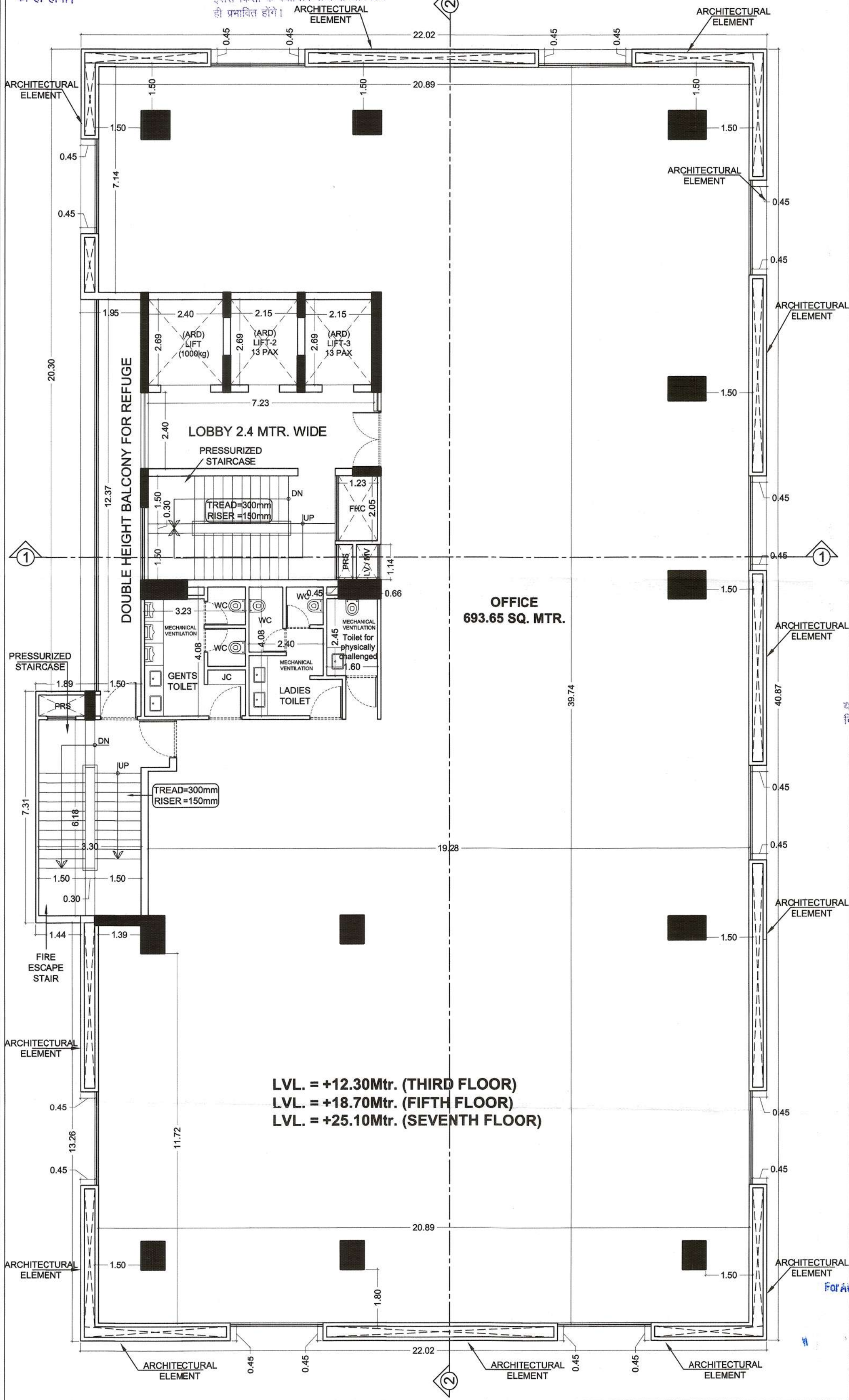
CLIENT'S SIGN.

For AURIGA REALTY PRIVATE LIMITED

Authorised Signatory

SHEET NO. - 09

NORTH -



पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N. B. C. Norms.

आवश्यक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जावे।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल निकास सेवाएं नेशनल बिल्डिंग कॉड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होगी।

Rain Water Harvesting Units Shall be Provided as per Rules

आरी किये गये अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रस्तुत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र-नहीं माना जायेगा और नहीं इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जायेगा।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने के कारण 15 मीटर से अधिक मंजिलों पर निर्माण शुरू करने से पूर्व मुख्य अगिल रासन अधिकारी जयपुर नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा तथा आवश्यक मण्डल कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त की जागी अनिवार्य होगी। अन्यथा यह स्वीकृति 15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

अनुमोदित

26-03-24
उप नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं० 537
दि० 26/3/24 के द्वारा जारी किये गये।

PROJECT TITLE :
PROPOSED COMMERCIAL
BUILDING AT PLOT NO. 68/S-03
SECTOR -6, TONK ROAD, PRATAP
NAGAR, SANGANER, JAIPUR
CLIENT :

Auriga Realty Pvt. Ltd.
ARCHITECTS
Ricky Mathur & Associates
architects interior designers planners
33, Dhuleshwar Garden,
Jaipur. (RAJ.) India. 302 001
Tel: 91-141-2362688, 4004700
Fax: 91-141-4008700
e-mail: ricky@rickymathur.com

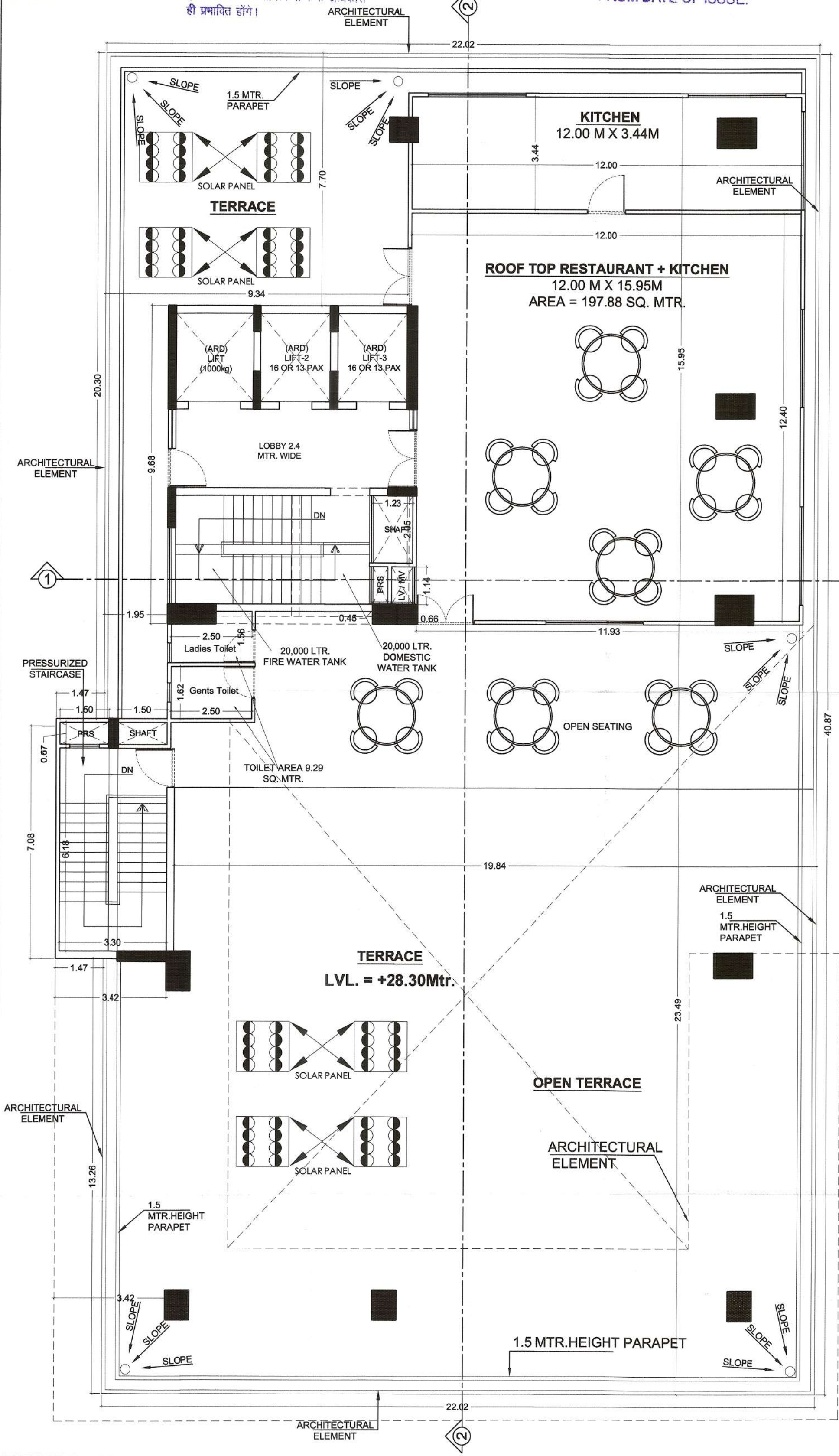
DRAWING TITLE :-
TERRACE FLOOR PLAN

SCALE 1 : 100
DATE - 2024
DEALT BY
STATUS SUBMISSION

ARCHITECT'S SIGN.
RICKY MATHUR
CA-24247

CLIENT'S SIGN.
For AURIGA REALTY PRIVATE LIMITED
Authorised Signatory

SHEET NO. - 10
NORTH -



पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जाएगा।

Rain Water Harvesting Units
Shall be Provided as per Rules

प्रस्तावित पवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने
के कारण 15 मीटर से अधिक मंजिलों पर
निर्माण शुरू करने से पूर्व मुख्य और प्रथम
अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से निर्माण प्रमाण
पत्र (NOC) लेना होगा तथा आवश्यक मण्डल
कक्षात्मक में अनाति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत
की जानी अनिवार्य होगी। अन्यथा यह स्वीकृति
15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

अनुमोदित

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्र
में दर्शाये गये मकान निर्माण की संरचना
(STRUCTURE) का चयनित प्रारंभ
का हो होगा।"

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N. B. C.
Norms.

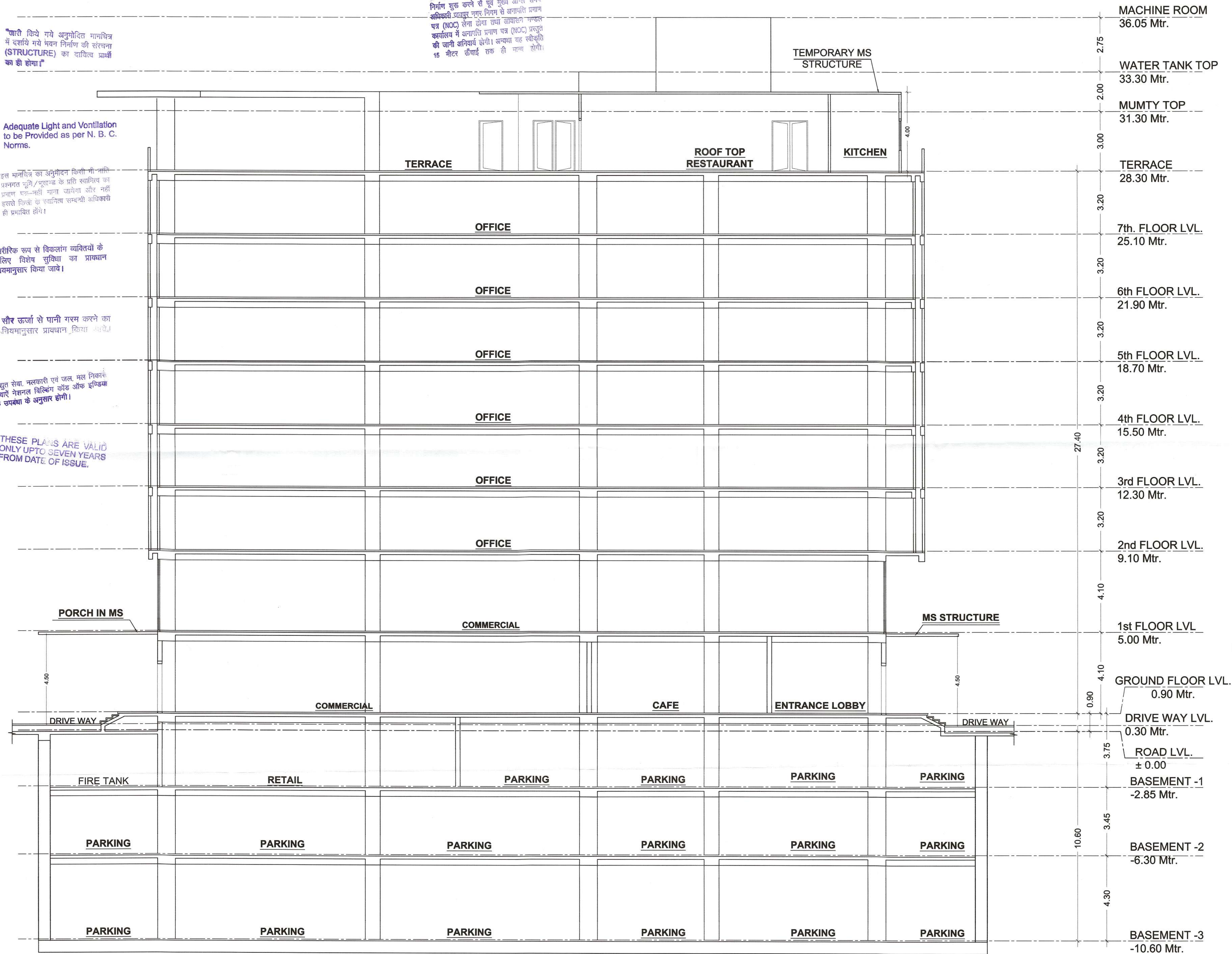
इस मानचित्र का अंतिमोदक विस्तीर्ण हो-गए
प्रमाणित मुद्रा/सुख्ख के प्रति स्वामित्व का
प्रमाण पत्र-मही माना जाएगा और नहीं
इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी
ही प्रमाणित होंगे।

भारतीय रूप से विकलांग व्यक्तियों के
लिए विशेष सुविधा का प्रावधान
नियमानुसार किया जाये।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

विद्युत सेवा, नलकरी एवं जल, मल निकास
सेवाएं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इन्डिया
के उपबन्धों के अनुसार होंगी।

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO SEVEN YEARS
FROM DATE OF ISSUE.



SECTION 2-2

26-03-24
उप नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

31/03/24
मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

537
यह मानचित्र पत्र सं. 537
दि. 26/3/24 के द्वारा जारी किया गया।

PROJECT TITLE :

PROPOSED COMMERCIAL
BUILDING AT PLOT NO. 68/S-03
,SECTOR -6 ,TONK ROAD, PRATAP
NAGAR, SANGANER ,JAIPUR

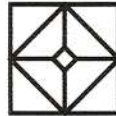
CLIENT :

Auriga Realty Pvt. Ltd.

ARCHITECTS

Ricky Mathur & Associates

architects interior designers planners
33, Dhuleshwar Garden,
Jaipur. (RAJ.) India. 302 001
Tel: 91-141-2362688, 4004700
Fax: 91-141-4008700
e-mail: ricky@rickymathur.com



DRAWING TITLE :-

SECTION 2-2

SCALE 1 : 100

DATE - 2024

DEALT BY

STATUS SUBMISSION

ARCHITECT'S SIGN.

Ricky Mathur
RICKY MATHUR
CA-24247

CLIENT'S SIGN.

For AURIGA REALTY PRIVATE LIMITED

Authorised Signatory

SHEET NO. - 11

NORTH -

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

"जाती किये गये अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N. B. C. Norms.

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भूति प्रयोग पर भूमि/मुख्य के प्रति स्वातंत्र्य का प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा और नहीं इससे किसी के स्वातंत्र्य सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जाये।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

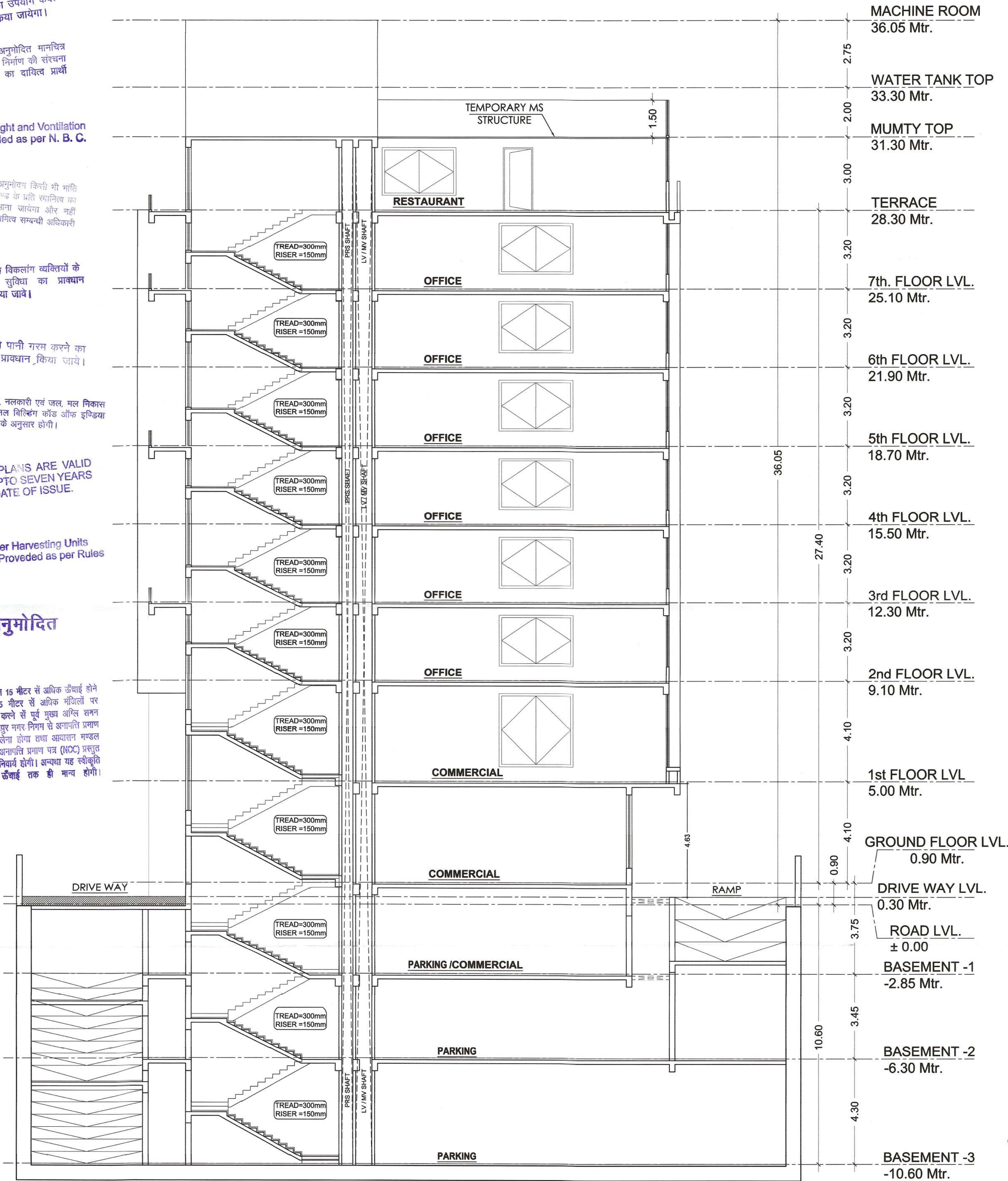
विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल निकास सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंध के अनुसार होंगी।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units Shall be Provided as per Rules

अनुमोदित

प्रस्तुत भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने के कारण 15 मीटर से अधिक मंजिलों पर निर्माण शुरू करने से पूर्व मुख्य अग्लि रानन अधिकारी जयपुर नगर निगम से अनापति प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा तथा आवासन मण्डल कार्यालय में अनापति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत की जानी अनिवार्य होगी। अन्यथा यह स्वीकृति 15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।



SECTION 1-1

26-02-24
उप नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

31/03/24
मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं. 537
दि. 26/3/24 के द्वारा जारी किया गया।

PROJECT TITLE :
PROPOSED COMMERCIAL BUILDING AT PLOT NO. 68/S-03, SECTOR -6, TONK ROAD, PRATAP NAGAR, SANGANER, JAIPUR

CLIENT :
Auriga Realty Pvt. Ltd.

ARCHITECTS
Ricky Mathur & Associates
architects interior designers planners
33, Dhuleshwar Garden,
Jaipur. (RAJ.) India. 302 001
Tel: 91-141-2362688, 4004700
Fax: 91-141-4008700
e-mail: ricky@rickymathur.com

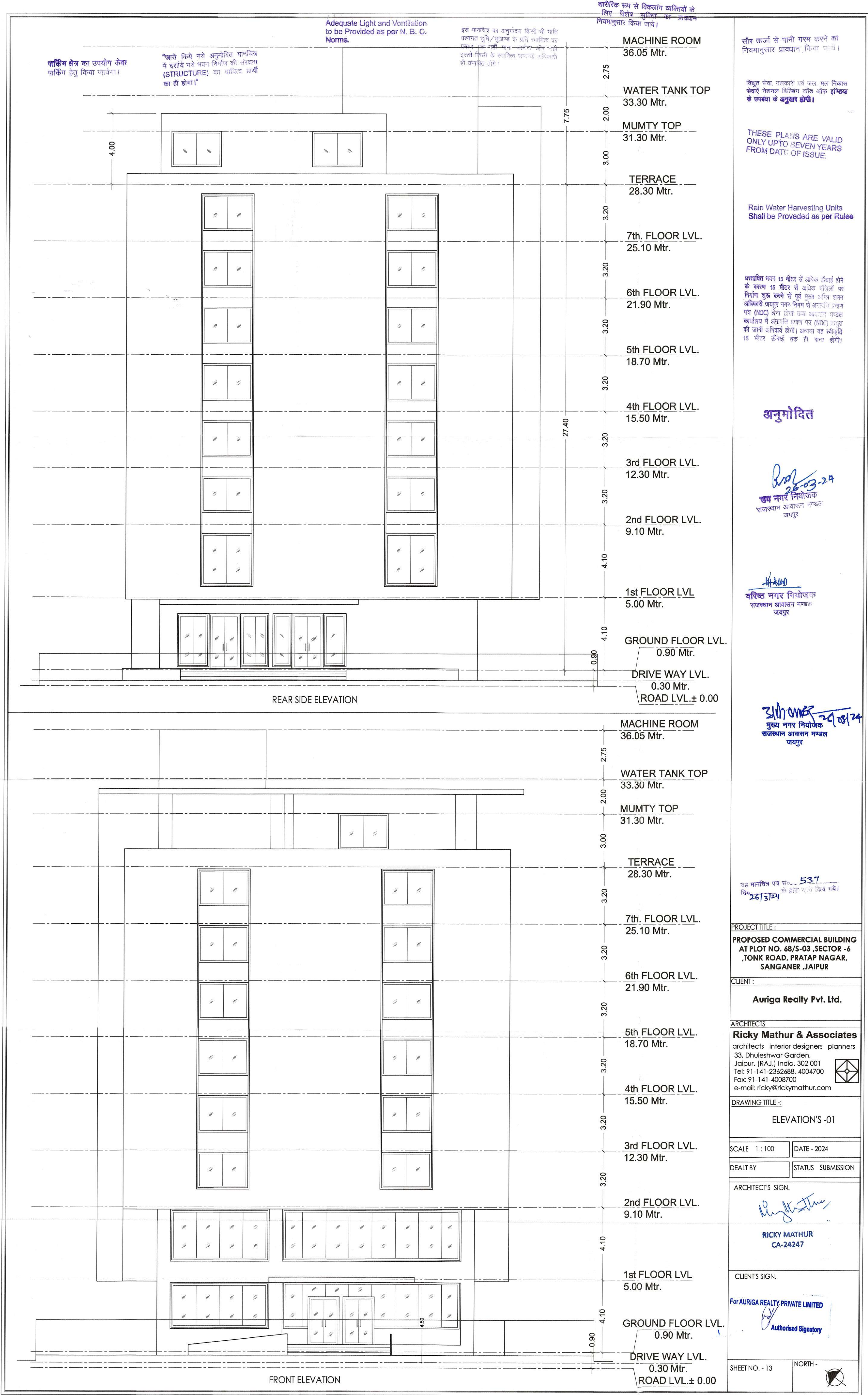
DRAWING TITLE :-
SECTION 1-1

SCALE 1 : 100
DATE - 2024
DEALT BY
STATUS SUBMISSION

ARCHITECT'S SIGN.
RICKY MATHUR
CA-24247

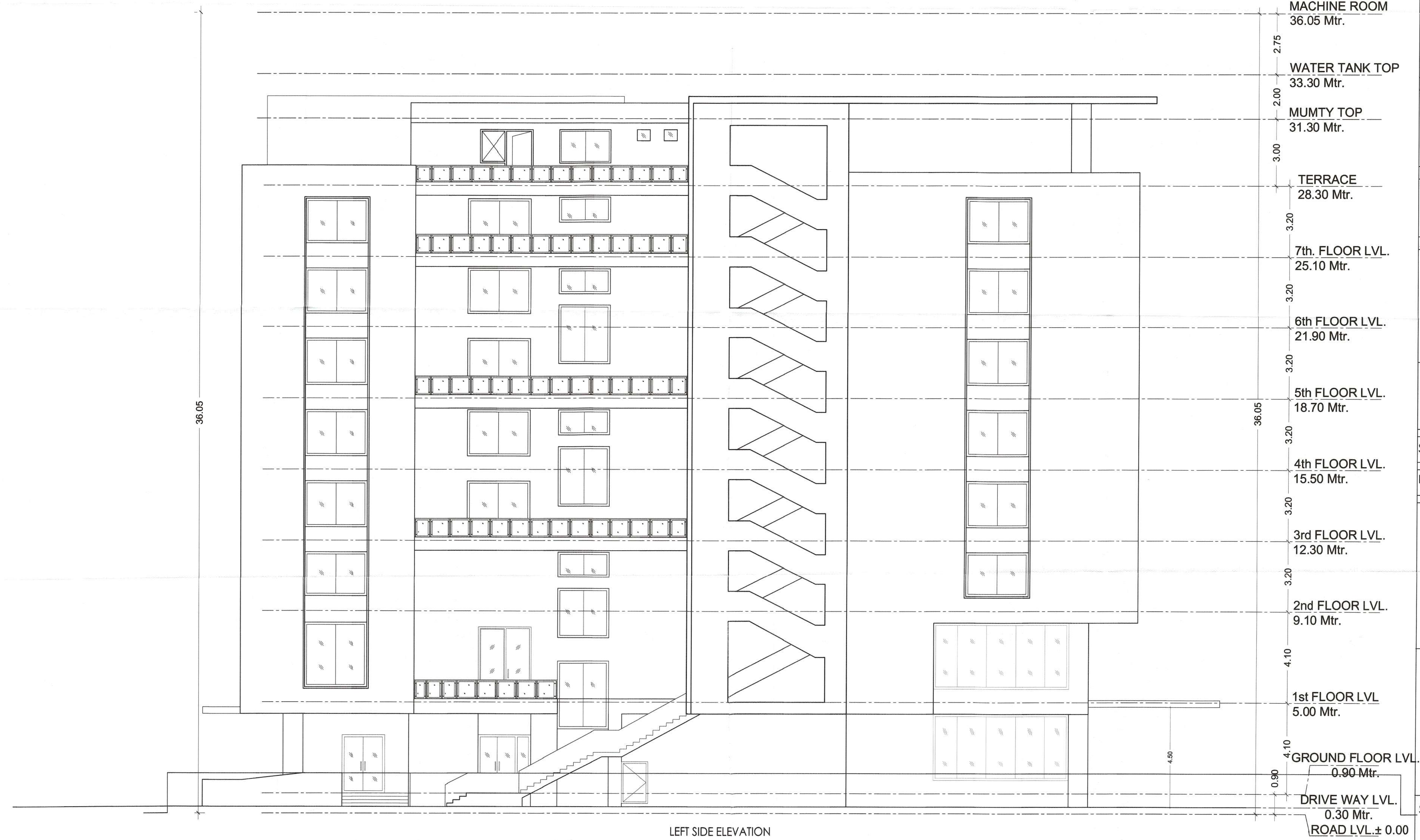
CLIENT'S SIGN.
For AURIGA REALTY PRIVATE LIMITED
Authorised Signatory

SHEET NO. - 12
NORTH -





RIGHT SIDE ELEVATION



LEFT SIDE ELEVATION

चार्जिंग क्षेत्र का उपयोग केवल
चार्जिंग हेतु किया जायेगा।
"जहाँ जितने नये अनुमोदित मानचित्र
में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना
(STRUCTURE) का दायित्व प्रकृति
का ही होगा।"

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N. B. C.
Norms.

इस मानचित्र का उपयोग केवल की पूर्ति
प्रस्तुत भूमि/प्रकार के दायित्व का
प्रमाण यह नहीं माना जायेगा और नही
इसके किसी के स्वतंत्र सम्पत्ति अधिकारी
ही प्रमाणित होंगे।

संगठित रूप से विकसित क्षेत्रों के
लिए विशेष सुविधा का प्रावधान
विनियोजित किया जाये।

तीसरे ऊर्जा से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

विद्युत सेवा, नलकरी एवं जल, मल निकास
केवाई नेशनल विनिर्देश कोड ऑफ प्रैक्टिस
के अधिनियम के अनुसार होंगे।

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO SEVEN YEARS
FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units
Shall be Provided as per Rules

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने
के कारण 15 मीटर से अधिक मीटरों व
निर्माण शुरू करने से पूर्व मुख्य अतिरिक्त
अधिकारी को सूचित कर निर्माण से आरंभित प्रमाण
पत्र (NOC) लेना होगा तथा आवासीय भवन
कमालास में अनुमति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त
की जाती अधिकारी क्षेत्रीय अथवा नगर स्तरीय
15 मीटर ऊँचाई तक ही गणित होंगे।

अनुमोदित

26-03-24

उप नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

26-03-24

उप नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

26-03-24

मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं. 537
दि. 26/3/24 के द्वारा जारी किया गये।

PROJECT TITLE :

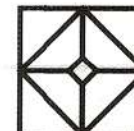
PROPOSED COMMERCIAL
BUILDING AT PLOT NO. 68/S-03
SECTOR - 6 ,TOKN ROAD, PRATAP
NAGAR, SANGANER ,JAIPUR

CLIENT :

Auriga Realty Pvt. Ltd.

ARCHITECTS

Ricky Mathur & Associates
architects interior designers planners
33, Dhuleshwar Garden,
Jaipur. (RAJ.) India. 302 001
Tel: 91-141-2362688, 4004700
Fax: 91-141-4008700
e-mail: ricky@rickymathur.com



DRAWING TITLE :-

ELEVATION'S -02

SCALE 1 : 100

DATE - 2024

DEALT BY

STATUS SUBMISSION

ARCHITECT'S SIGN.

26-03-24
RICKY MATHUR
CA-24297

CLIENT'S SIGN.

For AURIGA REALTY PRIVATE LIMITED
Authorized Signatory

SHEET NO. - 14

NORTH -



पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N. B. C. Norms.

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जावे।

Rain Water Harvesting Units Shall be Provided as per Rules

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वाभित्ति का प्रमाण पत्र-नहीं माना जायेगा और नहीं इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल बिकास सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होंगी।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने के कारण 15 मीटर से अधिक मंजिलों पर निर्माण शुरू करने से पूर्व मुख्य अगिल यमन अधिकारी जयपुर नगर निगम से अपापति प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा तथा आवासन मण्डल कार्यालय में अपापति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी। अन्यथा यह स्वीकृति 15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

अनुमोदित

जयपुर नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं. 537
दि. 26/3/24 के द्वारा जारी किया गया है

PROJECT TITLE:
PROPOSED COMMERCIAL
BUILDING AT PLOT NO. 68/S-03
SECTOR -6, TONK ROAD, PRATAP
NAGAR, SANGANER, JAIPUR

CLIENT :
Auriga Realty Pvt. Ltd.

ARCHITECTS
Ricky Mathur & Associates
architects interior designers planners
33, Dhuleshwar Garden,
Jaipur. (RAJ.) India. 302 001
Tel: 91-141-2362688, 4004700
Fax: 91-141-4008700
e-mail: ricky@rickymathur.com

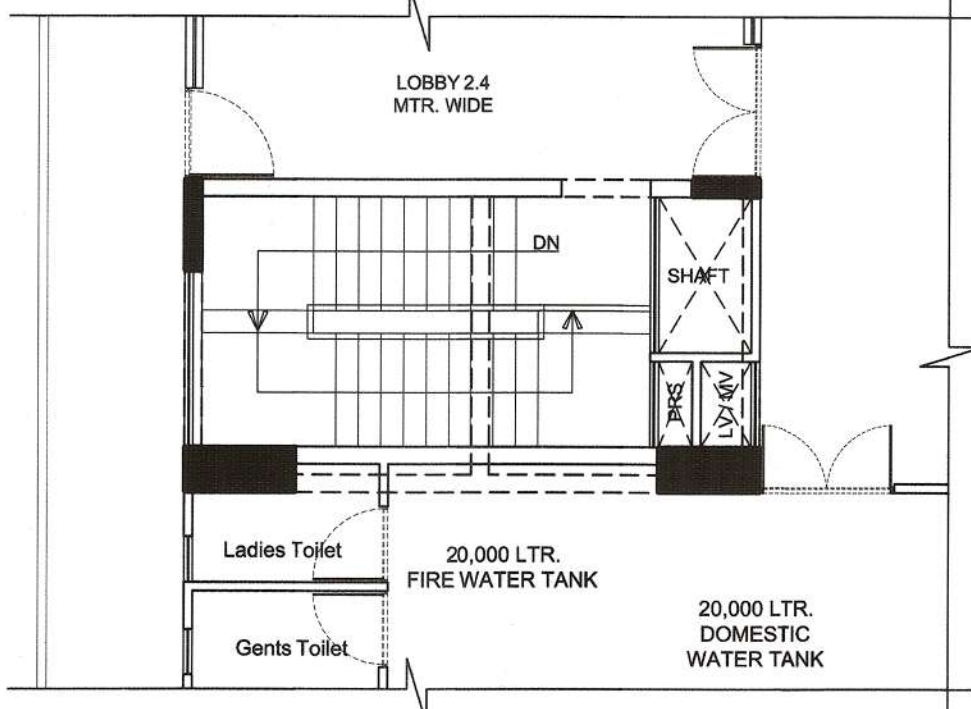
DRAWING TITLE :-
WATER TANK LVL.

SCALE 1 : 100
DATE - 2024
DEALT BY
STATUS SUBMISSION

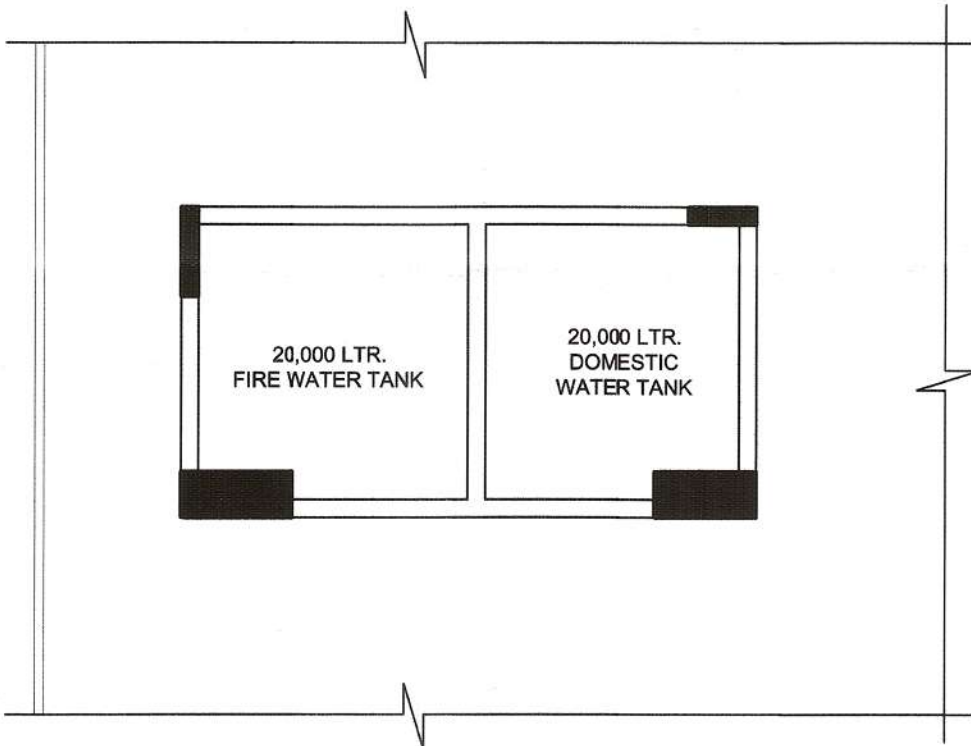
ARCHITECT'S SIGN.
RICKY MATHUR
CA-24247

CLIENT'S SIGN.
For AURIGA REALTY PRIVATE LIMITED
Authorised Signatory

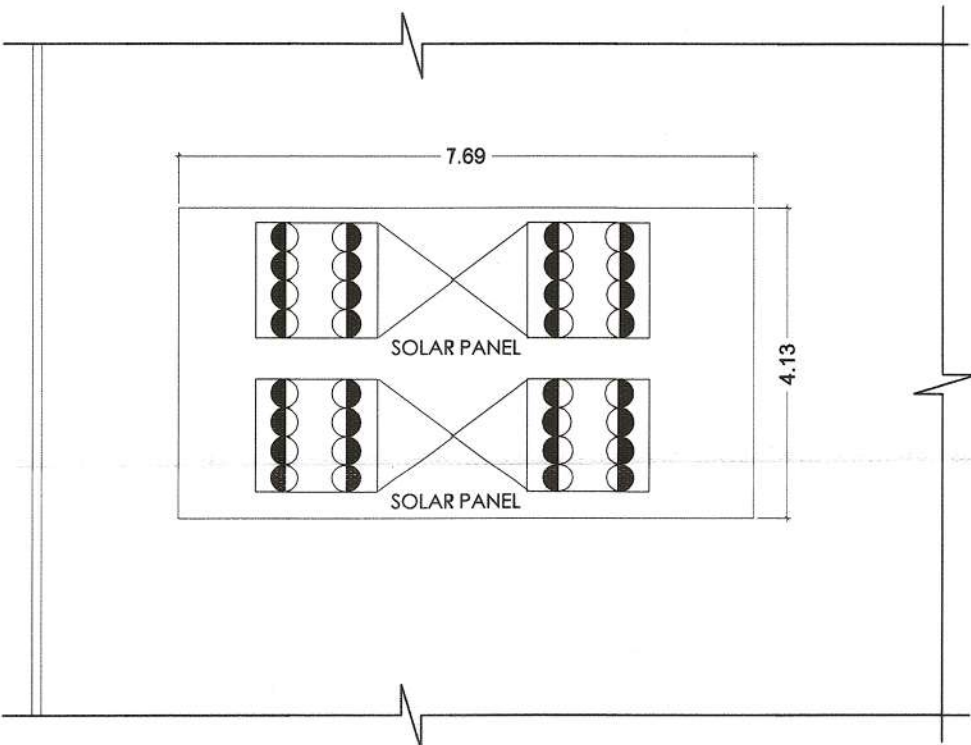
SHEET NO. - 15
NORTH -



TERRACE
LVL. = +28.30Mtr.



water tank
LVL. = +31.30Mtr.



water tank top
LVL. = +33.30Mtr.